**उत्तर प्रदेश शासन**
**आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3**
**संख्या : 3070/आठ–3–2023**
**लखनऊ : दिनॉक : 13 दिसम्बर, 2023**

**रजिस्ट्रार जनरल**
प्रिन्सिपल बेंच,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–329/2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 का क्रियान्वयन कराए जाने हेतु योजित ई0ए0 सं0–36 /2023 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

".........The Tribunal had passed the order dated 18.01.2023 directing the ADA and State PCBs to verify the grievance and to take remedial action, if the requisite infrastructure of waste management did not exist. There was a direction to file an action taken report by ACS, UD within six months. No action taken report has been filed till now though six months have lapsed after passing of the order by the Tribunal.
2. Learned Counsel for the applicant has submitted that the sewage water is being dumped into open field and though STP has been constructed but it has not been operationalized till now.
3. In view of this, we deem it proper to issue notice in the Execution Application to ACS, UD, State of Uttar Pradesh and ACS, Housing and Development, Uttar Pradesh. Let the action taken report/reply be submitted by them before the Tribunal within six weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
4. Applicant is directed to serve notice upon the above said authorities and file affidavit of service on or before the next date of hearing.
5. List this matter on 15.12.2023"

**2–** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया तद्नुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें।
**संलग्नकः यथोक्त।**

**(उदय भानु त्रिपाठी)**
विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**
प्रतिलिपि उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 सं0–36/2023 में दिनांक 15.12.2023 को सुनवाई के दृष्टिगत प्रश्नगत वाद में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

**(अरूण कुमार)**
अनु सचिव।

Saurabh Sir Wrk.U.O-2023

**<u>ओ0ए0 सं0–329/2021 श्री देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 व 09.10.2023 की अनुपालन आख्या।</u>**

ओ0ए0 सं0–329/2021 श्री देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 व 09.10.2023 के संबंध में आगरा विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–554/डी/भवन/23–24 दिनांक 30.11.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्यानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 में अनुतोष पाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में सिविल अपील सं0–3546/2023 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम देवांशु बोस व अन्य योजित की गई थी, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा रू0 25.00 लाख उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के खाते में दिनांक 28.07.2023 जमा करा दिये गये हैं।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि नालन्दा टाउन कॉलोनी, शमशाबाद रोड, आगरा के विकासकर्ता द्वारा एस0टी0पी0 के संचालन हेतु नियमित विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लिया गया है। विकासकर्ता द्वारा नियमित कनेक्शन हेतु रू0 19,653/– दिनांक 07.03.2023 **<u>(संलग्नक–1)</u>** को टोरण्ट पावर लि0 के खाते में जमा करा दिये गये हैं। एस0टी0पी0 द्वारा शोधित जल की गुणवत्ता जांच उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा की गई है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2023 **<u>(संलग्नक–2)</u>** के अनुसार शोधित जल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है।

आगरा विकास प्राधिकरण के अनुसार नालन्दा टाउन कॉलोनी के निवासियों, याचिकाकर्ता श्री देवांशु बोस व श्री डी0एल0 यादव एवं विकासकर्ता श्री राधेश्याम शर्मा को कॉलोनीवासियों की आर0डब्लू0ए0 गठित करने हेतु दिनांक 20.10.2023 को आगरा विकास प्राधिकरण में बैठक आहूत की गई थी। उक्त बैठक में विकासकर्ता श्री राधेश्याम शर्मा उपस्थित थे, लेकिन याचिकाकर्ता श्री देवांशु बोस व श्री डी0एल0 यादव एवं कॉलोनी के निवासीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए थे। पुनः दिनांक 27.10.2023 को बैठक आहूत की गई थी। दिनांक 27.10.2023 आहूत बैठक में विकासकर्ता श्री राधेश्याम शर्मा व याचिकाकर्ता श्री देवांशु बोस व श्री डी0एल0 यादव में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए थे, जिससे कॉलोनी के आर0डब्लू0ए0 का गठन नहीं हो पा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि न तो याचिकाकर्ता और न ही कॉलोनीवासी आर0डब्लू0ए0 गठित करने तथा एस0टी0पी0 संचालित करने में कोई रूचि नहीं ले रहें है।

प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 के अनुपालन में मौजा–बरौली अहीर की कुल 42 कॉलोनियों

तथा मौजा–रजरई, शमशाबाद रोड, आगरा की कुल–20 कॉलोनियों में सीवेज निस्तारण की व्यवस्था के सर्वेक्षण हेतु आगरा विकास प्राधिकरण व उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, आगरा द्वारा संयुक्त रूप से दो टीमों का गठन दि0 17.02.2023 को किया गया था। सर्वेक्षण उपरान्त गठित टीमों द्वारा दी गई आख्या निम्नवत् है–

- प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर नेटवर्क विद्यमान नहीं है।
- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 में ग्राम बरौली अहीर की अंकित क्रमांक–01 से 06 तक व 14, 16, 21, 34 व 30 (कुल–11 कॉलोनी) तथा ग्राम रजरई में अंकित क्रमांक–05, 09, 39, 41 (कुल–04 कॉलोनी) अर्थात् कुल–15 कॉलोनियों में एस0टी0पी0 निर्मित हैं।
- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 में ग्राम बरौली अहीर की अंकित क्रमांक–06, 10, 11, 12, 29, 31, 38 व 42 (कुल–08) कॉलोनियों में अभी न तो कोई विकास कार्य किया गया है और न ही कोई अध्यासन है। वर्तमान में यह खुली भूमि के रूप में है। इन कॉलोनियों के ले–आउट निरस्त किये जाने हेतु नोटिस निर्गत कर दिये गये है।
- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 में ग्राम बरौली अहीर की अंकित क्रमांक–08 पर अंकित माधव सिटी कालोनी का प्राधिकरण के अभिलेखों के अनुसार कोई ले–आउट स्वीकृत नहीं है। स्थल पर भी काफी ज्ञात करने के बाद भी इस नाम की कालोनी का पता नहीं लगा है।
- अधिकांश विकासर्ताओं द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कॉलोनी विकास हेतु प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया गया था, उसमें यह उल्लेख था कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाइन नहीं है वहां पर सीवेज का निस्तारण सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जा सकता है। तद्नुसार ही उनके द्वारा कॉलोनी में सीवेज का निस्तारण सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जा रहा है।
- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 में ग्राम बरौली अहीर की अंकित क्रमांक–18, 19, 20, 22 तथा ग्राम रजरई की अंकित क्रमांक–03, 04, 07, 10, 11, 12, 18, 19, 32, 33, 35 (कुल–15 कॉलोनी) पर अंकित योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें सभी भूखण्डों पर निर्मित होने वाले सभी एकल भवनों का कुल आच्छादित क्षेत्रफल 20,000 वर्गमी0 से अधिक सम्भावित है, किन्तु वर्तमान में काफी कम संख्या में भवन निर्मित हैं, जिससे सीवेज काफी कम मात्रा में जनित हो रहा है। वर्तमान में इनमें सीवेज का निस्तारण सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जा रहा है। क्रमांक–19 पर अंकित कॉलोनी में मात्र 35 भवन निर्मित हैं, जिनमें कोई अध्यासन नहीं है, जिससे वर्तमान में कोई सीवेज जनित नहीं हो रहा है। वर्तमान में सर्वेक्षण की गई किसी कॉलोनी में सीवेज सीधे खुले में बहता हुआ नहीं पाया गया है।

प्राधिकरण की आख्यानुसार सभी विकासकर्ताओं को एस0टी0पी0 निर्माण करने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है, जिन विकासकर्ताओं द्वारा एस0टी0पी0 निर्माण में शिथिलता बरती जा रही है, उन्हें ब्लैक लिस्ट किये जाने हेतु नोटिस निर्गत कर दिये गये है। अधिकांश कॉलोनियों में एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली विकासकर्ताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचित किया गया है। शासन स्तर पर आहुत बैठक दिनांक 23.11.2023 में भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड (द्वितीय) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) आगरा के पत्र सं0–709/एन0जी0टी0/05, दिनांक 13.10.2023 **(संलग्नक–3)** द्वारा अवगत कराया गया है कि आगरा नगर निगम के अन्तर्गत धांधूपुरा में 78 एम0एल0डी0 एवं 24 एम0एल0डी0, पीलाखार में 10 एम0एल0डी0, नगला बूढ़ी में 2.25 एम0एल0डी0, जगनपुर में 14 एम0एल0डी0, देवरी रोड में 12 एम0एल0डी0, बिचपुरी में 40 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 जल निगम द्वारा संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 36 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 बिचपुरी एवं 4.5 एम0एल0डी0 कालिन्दी विहार में नगर निगम, आगरा द्वारा संचालित की जा रही है तथा ककरैटा में 7.65 एम0एल0डी0 वैटलैण्ड एस0टी0पी0 वन विभाग, आगरा द्वारा संचालित किया जा रहा है। उक्त पत्र में अधिशासी अभियंता, जल निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज योजना (इन्टरसैप्शन, डायवर्जन एवं एस0टी0पी0 कार्य) स्वीकृत है। परियोजना की कार्य पूर्ण होने की तिथि 04.04.2025 है। परियोजना के अन्तर्गत धांधूपुरा में 100 एम0एल0डी0, जगनपुर में 31 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, पीलाखार में 35 एम0एल0डी0 तथा 11.60 एम0एल0डी0 क्षमता के डीसैंटरेलाइजड एस0टी0पी0 का निर्माण किया जाना है। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त आगरा शहर की कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 406 एम0एल0डी0 हो जायेगी।

ओ0ए0 सं0–329/2021 श्री देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 व 09.10.2023 के अनुपालन में उपरोक्त वर्णित स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराते हुए प्रश्नगत प्रकरण को निस्तारित किये जाने का अनुरोध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से किया जाना निवेदित है।

13/xii/23

**(नितिन रमेश गोकर्ण)**
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

# Payment Receipt

torrent POWER

Service No: **705154870** Machine AGR09 Date 07.03.2023
Receipt No: 55991433 Name: DEEPAK KUMAR S/O SHRI OM PRAKASH

Address: SEWER TREATMENT PLANT NALANDA TOWN SHAMSHABAD ROAD AGRA
Agra-282001

| Description | Amount Rs. |
|---|---|
| Security Deposit | 4000.00 |
| Service Line Charges | 15653.00 |
| Total Rs. | 19653.00 |

Rupees Nineteen Thousand Six Hundred Fifty Three Only

**Received By :** Cash

**TORRENT POWER LIMITED**
GST No. : 09AACCT0294J1Z4 CIN . L31200GJ2004PLC044068
Regd. Office : "Samanvay", 600 Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad-380015
Agra Office: 3rd and 4th Floor "Fortune Plaza", Plot No E-4, Taj Nagri, Phase-2, Sector-E,
Near Hotel Courtyard by Marriott, Fatehabad Road, Agra-282001

(संलग्नक-2)

# REGIONAL OFFICE/LABORATORY,
# U.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
# H.No 14,SECTOR-3B, AVAS VIKAS SIKANDRA YOJNA, AGRA-282007.

## S.T.P. SAMPLE ANALYSIS REPORT

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Name of Sampling Point | STP At Nalanda Town, (Housing Society) Rajrai road,Shamshabad, Agra. |
| 2. | Sample Collected by | Sh. Sushil Kumar, JRF |
| 3. | Date of Sample Collection | 25.04.2023 |
| 4. | Date of Sample Received | 25.04.2023 |
| 5. | Sampling Point | Outlet Of STP |

| S.No. | Parameters | Values in mg/l except pH | Standards |
|---|---|---|---|
| 1. | Colour | Light Yellowish | Colourless |
| 2. | Odour | Unspecific | Odourless |
| 3. | pH | 7.6 | 6.5to8.5 |
| 4. | Biochemical Oxygen Demand (Incubation at $27^0$c for 3 days) | 28.0 | 30.0mg/l |
| 5. | Chemical Oxygen Demand ( Dichromate reflux method) | 216.0 | 250.0 mg/l |
| 6. | Total suspended solids | 90.0 | 100.0mg/l |

03/05/23
Scientific Assistant

03/5/23
Assistant Scientific Officer

Regional Officer

(संलग्नक-3)



pmcuagra1@gmail.com

फोन नं0 : (0562) 2621046
मो0 नं0 : 09473942647

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)**

वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा – 282 004

पत्रांक 709 / N.G.T. / 05 दिनांक 13/10/2023

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ0ए0 नं0–329/2021 (देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 09.10.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ0ए0 नं0–329/2021 (देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 09.10.2023 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आगरा नगर निगम के अन्तर्गत पूर्व निर्मित एस0टी0पी0 जोकि उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा द्वारा संचालित है, उक्त एस0टी0पी0 से सम्बन्धित सूचना निम्नवत् है :–

| S. No. | Name of STP | Technology | Capacity of STP (in MLD) | Treatment Utilization in July 2023 (in MLD) | Comply with standards | Maintaining Agency | Reuse of treated effluent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 MLD STP Dhandhupura | UASB | 78.00 | 77.58 | Yes | UPJN(U) | Treated effluent is reused for irrigation of agriculture with command area of about 840 acres. |
| 2 | 24 MLD STP Dhandhupura | UASB+EA | 24.00 | 17.11 | Yes | UPJN(U) | |
| 3 | 10 MLD STP Peelakhar | WSP | 10.00 | 10.00 | Yes | UPJN(U) | Treated effluent is reused for irrigation of agriculture with command area of about 100 acres. |
| 4 | 2.25 MLD STP Nagla Burhi | WSP | 2.25 | 2.25 | Yes | UPJN(U) | Treated effluent reuse proposal is taken under AMRUT 2.0. |
| 5 | 14 MLD STP Jaganpur | UASB | 14.00 | 14.00 | Yes | UPJN(U) | Treated effluent is reused for irrigation of agriculture with command area of about 150 acres. |
| 6 | 12 MLD STP Deori Road | UASB | 12.00 | 9.35 | Yes | UPJN(U) | Treated effluent is discharged into Rohta irrigation canal for reuse. |
| 7 | 40 MLD STP Bichpuri | UASB | 40.00 | 27.16 | Yes | UPJN(U) | |

उक्त के अतिरिक्त 02 नग एस0टी0पी0 36 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बिचपुरी एवं 4.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, कालिन्दी विहार नगर निगम, आगरा द्वारा संचालित किये जा रहे हैं एवं 7.65 एम0एल0डी0 वैटलैण्ड एस0टी0पी0, ककरेटा वन विभाग, आगरा द्वारा संचालित किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

आगरा नगर के यमुना नदी में प्रवाहित हो रहे 90 नालों में से 21 नाले टैप्ड है एवं 08 नाले आंशिक रूप से टैप्ड हैं तथा 61 नाले अनटैप्ड हैं। आंशिक रूप टैप 08 नालों एवं अनटैप्ड 61 नालों को टैप किये जाने हेतु निम्नवत् योजनायें स्वीकृत/प्रस्तावित हैं :-

1. नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा सीवरेज योजना (इन्टरसैप्शन, डायवर्जन एवं एस0टी0पी0 कार्य) स्वीकृत लागत रु0 842.25 करोड़ है, जिसमें 23 नग अनटैप्ड एवं 03 नग आंशिक रूप से टैप नालों को टैप किया जाना है और 100 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, धांधूपुरा, 31 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जगनपुर एवं 35 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, पीलाखार नामक 03 नग एस0टी0पी0 तथा 11.60 एम0एल0डी0 क्षमता के 10 डीसैंटरेलाइजड एस0टी0पी0 का निर्माण किया जाना है। परियोजना की कार्य प्रारम्भ की तिथि 05.04.2023 एवं कार्य पूर्ण की तिथि 04.04.2025 है। इस परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त सीवेज ट्रीटमेन्ट 177.60 एम0एल0डी0 बढ़ जायेगा और आगरा शहर की कुल सीवेज ट्रीटमेन्ट क्षमता 406 एम0एल0डी0 हो जायेगी। उक्त परियोजना उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा सम्पादित करायी जा रही है।
2. अवशेष 38 नग अनटैप्ड नालों एवं 05 नग आंशिक रूप से टैप्ड की टेपिंग हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम में अनुमानित लागत रु0 136.41 करोड़ प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्रांक 1399/नागर-2/033-नमामि गंगे/23, दिनांक 04.10.2023 द्वारा उ0प्र0 राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

भवदीय

Swatantra

(स्वतन्त्र सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ.सं. एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा।
3. परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा।

अधिशासी अभियन्ता